

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्‍नोई आर.ए.एस.)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत साता)

राजस्व आवेदन सं. 302/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी श्री नाराणदान पुत्र श्री विरधदान बनाम
तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी श्री नाराणदान पुत्र श्री विरधदान निवासी छोटा हाथला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि राजस्व गांव छोटा हाथला के खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 219 रकबा 16.0174 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, जमाबन्दी संवत् 2073-76, में उनका नाम नारायणदान पुत्र श्री विरधदान राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्ध नाम नारायणदान पुत्र श्री विरधदान के स्थान पर नाराणदान पुत्र श्री विरधदान है। इस तरह उनका नाम नारायणदान पुत्र श्री विरधदान के स्थान पर नाराणदान पुत्र श्री विरधदान दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी श्री नाराणदान पुत्र श्री विरधदान का राजस्व गांव छोटा हाथला के खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 219 रकबा 16.0174 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, जमाबन्दी संवत् 2073-76 में प्रार्थी का नाम नारायणदान पुत्र श्री विरधदान के स्थान पर नाराणदान पुत्र श्री विरधदान शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



(बद्रीनारायण विश्‍नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक : 01/10/2025

क्रमांक:- 1289-91

तिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नाराणदान पुत्र श्री विरधदान, निवासी छोटा हाथला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

